संॱसंॱ–1 / ना0अ0–07 / 2018–231 (1)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

कौशल किशोर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

*द्वारा– वित्त विभाग।

पटना, दिनांक– 18 / 02 / 2019

विषयः– **राज्य के 08 कार्यरत एवं 09 प्रस्तावित, अर्थात् कुल 17 (सत्रह) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में एम0सी0आई0 मापदण्ड के अनुरूप ई0एन0टी0 विभाग के लिए 34 (चौंतीस) नये पदों के सृजन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

राज्य में सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों की स्थापना मरीजों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। वर्तमान में विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में विभिन्न प्रकार के असाध्य एवं गंभीर रोगों का इलाज किया जा रहा है।

2– राज्य में सुनने की समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के ई0एन0टी0 के बाहरी मरीज विभाग में आने वाले मरीजों की कुल संख्या का लगभग 30–35% मरीज सुनने की समस्या से पीड़ित होते हैं।

3– राज्य में 08 कार्यरत एवं 09 प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल निम्नवत् है–

(क) कार्यरत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल– (1) पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना (2) नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना (3) दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा (4) श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर (5) जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर (6) अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया (7) वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा एवं (8) राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया।

(ख) निर्माणाधीन चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल– जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा।

(ग) सात निश्चय अंतर्गत खोले जाने वाले तीन स्थलों के चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल– बेगूसराय, महुआ (वैशाली) एवं भोजपुर (आरा)।

(घ) राज्य सरकार एवं भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से खोले जाने वाले पाँच चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल– पूर्णियाँ, छपरा (सारण), समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं झंझारपुर (मधुबनी)।

4– एम0सी0आई0 मापदण्ड के अनुसार प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के ई0एन0टी0 विभाग में Speech Pathologist-cum-Audiologist एवं Audiographer के पदों का होना आवश्यक है। इनके अभाव में पुराने चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के संदर्भ में एम0सी0आई0 द्वारा समय–समय पर आपत्ति दर्ज की जाती रही है तथा निर्माणाधीन एवं प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में भी ऐसी आपत्ति न हो, इसके लिए आवश्यक है कि इनके लिए भी इन पदों का सृजन कर लिया जाय। इस प्रकार उक्त सभी 17 (सत्रह) चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के लिए Speech Pathologist-cum-Audiologist एवं Audiographer के 17–17, अर्थात् कुल 34 (चौंतीस) नये पदों के सृजन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रमशः

5– इन सृजित किये जाने वाले पदों पर कुल रू0 1,51,20,228/–(रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार दो सौ अट्ठाईस) मात्र का वार्षिक अतिरिक्त व्यय भार होगा, जो राज्य सरकार को वहन करना होगा।

6– सृजित किये जाने वाले पदों पर होने वाले व्यय का वहन स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय के अंतर्गत प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के सुसंगत उपशीर्ष में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

7– सृजित किये जाने वाले पदों का पदनाम एवं वेतन लेवल संलग्न विवरणी में अंकित है।

8– प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

9– राज्यादेश में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–1/ना0अ0–07/2018–231(1) /स्वा0, पटना, दिनांक– 18/02/2019

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार/सभी संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/सभी संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, 4, 11 स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

राज्य के 08 कार्यरत एवं 09 प्रस्तावित, अर्थात् कुल 17 (सत्रह) सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों (यथा–पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, गया, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल, पावापुरी, नालन्दा, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मधेपुरा (निर्माणाधीन), केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से खोले जाने वाले पाँच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, यथा–पूर्णियाँ, छपरा (सारण), समस्तीपुर, सीतामढ़ी एवं झंझारपुर (मधुबनी) तथा राज्य में सात निश्चय अंतर्गत खोले जाने वाले तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों, यथा– बेगूसराय, महुआ (वैशाली) एवं भोजपुर (आरा)) में एम0सी0आई0 मापदण्ड के अनुरूप ई0एन0टी0 विभाग के लिए **Speech Pathologist-cum-Audiologist** एवं **Audiographer** के कुल 34 (चौंतीस) नये पदों के सृजन पर होने वाली वार्षिक अनुमानित व्यय विवरणी।

क्र0 सं0	पदनाम	प्रति संस्थान स्वीकृत किये जाने वाले पदों की संख्या	कुल स्वीकृत किये जाने वाले पद	प्रविष्टि वेतन	लेवल	ग्रेड–पे	वार्षिक वेतन	महँगाई भत्ता 7%	चिकित्सा भत्ता	आवास भत्ता (16%/ 8%)	परिवहन भत्ता	कुल योग
1	Speech Pathologist-cum-Audiologist	1	17	35400	6	4200	7221600	505512	204000	645696	154080	**8730888**
2	Audiographer	1	17	25500	4	2400	5202000	364140	204000	465120	154080	**6389340**
	कुल–	**2**	**34**				**12423600**	**869652**	**408000**	**1110816**	**308160**	**15120228**

(रुपये एक करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार दो सौ अठ्ठाईस)

231 (1)
18-02-19

18/2/19

सरकार के संयुक्त सचिव